


ने एक प्रार्थना - पत्र अन्तर्गत धारा
 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया
 गया। शा. नि. ही। जिसकी एक प्रतिलिपि
 प्रति अधि. प्रतिवादीगण को उपलब्ध
 कराई गई। साक्ष्य वादी पेश आज भी
 नहीं किया। न्यायदिवस में अंतिम अवसर
 1000/- (एक हजार रुपये/-) की कोर्ट शर्त
 पर रिहा जता है। बाकी उक्त प्रा. पत्र
 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर प्रतिवादीगण
 जवाब प्रा. पत्र हेतु बंधनवशात्पत्र वादी पेश करें
 हेतु पत्रावली आयन्दा दिनों 16/4/25
 को पेश की।



16/4/25 पत्रावली पेश हुई। कुलाम 300।

(अभिधी 20/4/25)

वही ल वादी मय वादीगण द्वारा मय
 जिला के ल साक्ष्य वादी के वादी/जवाब
 जिला हेतु उपलब्ध नहीं आए हैं आदेशिका
 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण
 मय आविष्कार को लक्ष्य वादी पेश करने
 हेतु अनेक ल पर्याप्त अवसर दिए गए।
 पिछली 2 पेशी पर cost पर अग्रिम अवसर
 दिए जाने के बावजूद साक्ष्य वादी प्रस्तुत
 नहीं किए जाने के कारण साक्ष्य वादी के
 की पत्रावली वही ल प्रतिवादी साक्ष्य प्रतिवादी

प्रस्तुत नहीं करता चाहेत है। अतः लाह्य प्रक्रिया
कई ही जाती है। वही ल प्रक्रिया ने आदेशिका
पर हस्ताक्षर किये कहेत उन्मथपश सुनी जाती।
पत्रावली का अवलोकन किया गया

पत्रावली मय आदेशिका के अवलोकन ले
मह स्पष्ट है कि वासीगण द्वारा अपने वाड
को स्थावित करने हेतु कोई लाह्य प्रस्तुत
नहीं की है। अतः स्थाव्य के अभाव में
वासीगण का वाड स्थावित न होने के
कारण वाड वासीगण स्थावित/अस्वीकार
किया जाता है। पत्रावली केरल ल सुधार
होकर तत्पर ले कम होकर अस्वीकृत
उत्तर है।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

